न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 56/2018

जरिये सरकार शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

–आवेदक

वनाम

श्री जगदीश चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवचरण गुप्ता (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्स मोहरी लाल वंसतीलाल, पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर (राज०)।
निवासीः– पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर (राज०)।

–अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), उप धारा 2(v)/जुर्माना अन्तर्गत धारा 51 व 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 22/12/18

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं शशिकान्त शर्मा दिनांक 20.02.18 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम आवंटित किया गया है और जयपुर प्रथम के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.02.18 को समय 4.00 पी.एम पर मैसर्स मोहरी लाल बंसतीलाल, पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर पर पहुँचा। यहाँ पर श्री जगदीश चन्द गुप्ता उपस्थित मिले। श्री जगदीश चन्द गुप्ता को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया यहाँ आम जनता को विकय हेतु सरसो तेल के 70 टिन लूज रखे हुए थे, जिन पर टिकडी लगी हुई थी परन्तु लेबल नही लगा हुआ था। विक्रेता श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता ने बताया कि उक्त माल की खरीद विना लेबल लगे टिन में ही किया गया है। इन विना लेबल लगे प्रत्येक टिन में 15 किलोग्राम सरसो तेल भरा हुआ था।
3. यह कि इस सरसो तेल (लूज) मे गुणवत्ता मे कमी एवं Contravention of the regulation 2.3.15 Food safety & standards (prohibition & restrictions on sales) Regulation 2011 का अन्देशा होने पर एक टिन मे से 2 लीटर सरसो तेल (लूज) वास्ते नमूना जाँच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री जगदीश चन्द गुप्ता को रु 191/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन श्री अवधेश गुप्ता तथा श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री जगदीश चन्द गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विकेता श्री जगदीष चन्द गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतल दिखाकर उक्त खरीदशुदा सरसो का तेल (लूज) को चारो बोतलो में बराबर–बराबर डालकर लेवल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ई–3342 दर्ज किया प्रत्येक लेवल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ई–3342 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से वांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।
6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने के पश्चात् शेष बचे सरसो तेल (लूज) के 79 टिन प्रत्येक 15 किलोग्राम एवं एक टिन जिसमे से नमूना लिया गया था, को फॉर्म–ii भरकर सीजर मीमो तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर तथा माल (सरसो तेल) को विक्रेता श्री जगदीश चन्द की सुरक्षित अभिरक्षा में अग्रिम आदेशो तक सौप दिया गया। सीजर मीमो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

regulation 2.3.15 Food safety & standards (prohibition & restrictions on sales) Regulation 2011 होने के कारण खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 मे निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

13. आवेदक द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी को तल्वी हेतु नोटिस जारी किया गया बाद तामिल अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया तथा अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सैनी तथा बाद में श्री दिनेश कुमार बंसल ने अन्डर टेकिंग दी। अप्रार्थी को उपस्थित होने हेतु अनेक अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी की ओर से कोई उपिस्थत नही आया ना ही जवाब पेश किया गया इसलिए अप्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

14. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड सरसो तेल (लूज) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निधारित है एवं Label Declaration मे Contravention of the regulation 2.3.15 Food safety & standards (prohibition & restrictions on sales) Regulation 2011 होने के कारण खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 मे निर्धारित है। इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में दण्डित किया जावें।

15. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त सबस्टेण्डर्ड सरसो तेल (लूज) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निधारित है एवं Label Declaration मे Contravention of the regulation 2.3.15 Food safety & standards (prohibition & restrictions on sales) Regulation 2011 होने के कारण खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (v) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो तथा अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में वन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष तीन सील वन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की तीन प्रतियों के आउटर कवर, में सील वन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. चूंकि सरसो का तेल (लूज) विक्रेता ने नमूने के चौथे भाग को किसी अधिसूचित एनएवीएल प्रयोगशाला से जांच करवाने की कोई मंशा जाहिर नहीं की। अतः सील चपड़ी किए हुए नमूने के चौथे भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर पैकेट में सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पास जमा करा कर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक एफएसएसए/16/455 दिनांक 04.05.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल. एस/328/Act/2018/423 दिनांक 14.03.18 का अध्ययन करने पर यह नमूना सवस्टैण्डर्ड (Substandard food) Under section 3(i) (zx) एवं Contravention of the regulation 2.3.15 Food safety & standards (prohibition & restrictions on sales) Regulation 2011 होना पाया गया। जाँच रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह कि एफएसएसए एक्ट 2006 नियम 2011 के नियम 2.4.6 सेक्शन 46 के सव सेक्शन 4 के अन्तर्गत 30 दिवस की अवधी में नमूने की रेफरल लेवोरेट्री में पुन जांच हेतु फार्म– viii मे अपील करने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता द्वारा पुनः जांच हेतु फॉर्म viii में अभिहित अधिकारी को अपील पेश नहीं की गयी।
11. श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने पत्र कमांक एफएसएसए/18/776 दिनांक 20.08.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।
12. यह कि उक्त केस मे सवस्टेण्डर्ड सरसो तेल (लूज) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निधारित है एवं Label Declaration मे Contravention of the

लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री जगदीश चन्द गुप्ता पुत्र स्व. श्री शिवचरण गुप्ता (मालिक एवं विक्रेता), मैसर्स मोहरी लाल बंसतीलाल, पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर (राज०)। निवासीः पुरानी सब्जी मण्डी, नगर पालिका ऑफिस के पास, कोटपूतली, जयपुर (राज०) पर 60,000/- [illegible] शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21-12-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अति.
न्याय निर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-[illegible])
कलेक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली